भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 368

जिसका उत्तर बुधवार, 03 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

नोटरी पब्लिक

368. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने नोटरी पब्लिक नियुक्त किए गए है ;

(ख) क्या इन नोटरी अध्विक्ताओं की सेवाएं एक निश्चित अवधि/वर्षाविधि के लिए होती है और उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनकी सेवाओं का नवीनीकरण किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/न्यायालय-वार कितने नोटरी प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण किया गया है ;

(घ) क्या देश की जनसंख्या के अनुपात में नोटरी की संख्या पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या विभिन्ना राज्यों में नोटरी की नियुक्ति के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हो और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(च) देश में विभिन्ना राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में उपलब्ध् रिक्तियों के अनुसार नोटरी नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : वर्ष 2018, 2019 और 2020 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार नियुक्त किए गए नोटरी पब्लिक की कुल संख्या के सारणीबद्ध ब्यौरे निम्नानुसार है –

क्र.सं.	राज्य	2018 में नियुक्त किए गए नोटरियों की संख्या	2019 में नियुक्त किए गए नोटरियों की संख्या	2020 में नियुक्त किए गए नोटरियों की संख्या
1.	अंदमान और निकोबार	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	172	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	13	0	0
5.	बिहार	117	51	0
6.	चंडीगढ़	29	0	0
7.	छत्तीसगढ़	182	0	0
8.	दिल्ली	324	0	0
9.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
10.	दमण और दीव	0	0	0
11.	गोवा	16	0	0
12.	गुजरात	1896	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	95	0	0
14.	हरियाणा	374	0	0
15.	झारखंड	43	23	0
16.	जम्मू - कश्मीर	0	0	0
17.	केरल	441	0	0
18.	कर्नाटक	570	0	0
19.	लक्षद्वीप	3	0	0
20.	मेघालय	1	0	0
21.	महाराष्ट्र	1949	0	0
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मिजोरम	0	0	0
24.	मध्य प्रदेश	193	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0
26.	ओडिशा	56	10	0
27.	पंजाब	351	0	0
28.	पांडिचेरी	25	0	0
29.	राजस्थान	442	344	0
30.	सिक्किम	0	0	0
31.	तमिलनाडु	748	0	0
32.	त्रिपुरा	7	0	0
33.	तेलंगाना	79	0	0
34.	उत्तर प्रदेश	298	0	0
35.	उत्तराखंड	14	0	0
36.	पश्चिमी बंगाल	80	11	0
	कुल	8518	439	

(ख) : नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 5 धारा 4 के अधीन यथाविहित रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि और उस समय पांच वर्ष की अवधि के लिए व्यवसाय के प्रमाणपत्र के जारी या नवीकरण के लिए उपबंध करती है । पश्चात्वर्ती नवीकरण नोटरी अधिनियम की धारा 5(2) के अधीन उस समय पांच वर्ष की अवधि के लिए है, जो एक सतत् प्रक्रिया है ।

(ग) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार पुनरीक्षित प्रमाणपत्रों के सारणीबद्ध ब्यौरे निम्नानुसार हैं ।

क्र.सं.	राज्य	2018 में नवीकृत प्रमाणपत्रों की संख्या	2019 में नवीकृत प्रमाणपत्रों की संख्या	2020 में नवीकृत प्रमाणपत्रों की संख्या
1	अंदमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	75	90	32
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	शून्य	शून्य	शून्य
5	बिहार	22	4	10
6	चंडीगढ़	22	3	5
7	छतीसगढ़	4	1	शून्य
8	दिल्ली	55	87	38
9	दादरा और नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
10	दमण और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
11	गोवा	3	3	1
12	गुजरात	305	57	131
13	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	1
14	हरियाणा	205	91	81
15	झारखंड	7	2	शून्य
16	जम्मू- कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
17	केरल	283	25	31
18	कर्नाटक	271	52	74
19	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
20	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
21	महाराष्ट्र	753	228	243
22	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
23	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
24	मध्य प्रदेश	29	5	11
25	नागालैंड	1	शून्य	शून्य
26	ओडिशा	3	शून्य	4
27	पंजाब	192	80	91
28	पांडिचेरी	42	14	7
29	राजस्थान	218	32	73
30	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
31	तमिलनाडु	178	152	115
32	त्रिपुरा	5	शून्य	3
33	तेलंगाना	शून्य	1	शून्य
34	उत्तर प्रदेश	351	253	200
35	उत्तराखंड	3	5	2
36	पश्चिमी बंगाल	28	10	18

(घ) : केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोटरियों की अधिकतम संख्या और राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए नोटरियों की अधिकतम संख्या के ब्यौरे नोटरी अधिनियम 1956 में संलग्न अनुसूची के निबंधनों के अनुसार दिए गए हैं । इस प्रकार, केन्द्रीय सरकार नोटरियों/राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग कोटा दिया गया है । ये कोटे विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आवेदनों की संख्या को देखते हुए आवधिक रूप से पुनरीक्षित किए गए हैं । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के विधि विभाग ने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने कोटे को बढाने के लिए अनुरोध अग्रेषित किया है और उनके कोटे बढाए भी गए हैं । इस प्रकार, देश में जनसंख्या के अनुपात में नोटरियों की संख्या पर्याप्त हैं ।

(ङ) : नोटरी अनुभाग ने नोटरियों की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यार्थीयों से ऑनलाइन आवेदन ग्रहण किए हैं । तत्पश्चात्, इन राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में साक्षात्कार को कराने का विनिश्चय समुचित सरकार द्वारा लिया जाएगा ।

(च) : इस विभाग की नोटरी सेल नोटरियों की नियुक्ति के लिए आवेदन ऑनलाइन ग्रहण करती हैं, जो एक जारी रहने वाला व्यवहार है । ये ऑनलाइन आवेदन नोटरी अधिनियम 1952 के उपबंधों के अधीन विहित किए गए अर्हता मापदंडो को ध्यान में रखते हुए संवीक्षित किए जाएंगे । यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2018-2019 के दौरान कुल 8957 नोटरी नियुक्त किए गए थे ।

****